

कार्यालय—जिला समाज कल्याण अधिकारी उधम सिंह नगर।

कार्यालय ज्ञाप

जनजाति कल्याण विभाग उत्तराखण्ड द्वारा जनपद ऊधमसिंह नगर में संचालित राजकीय आश्रम पद्धति उ0मा0 विद्यालय बिडौरा, ऊधम सिंह नगर में अध्ययनरत/निवासरत विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2024-25 में (15.11.2024 से 14.11.2025 तक) कुल अवधि 01 वर्ष के लिए भोजन की आपूर्ति करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक सी-1361 दिनांक 30 अक्टूबर 2024 के द्वारा ई-निविदा जारी की गयी है।

उक्त पत्र द्वारा जारी ई0 निविदा प्रपत्र में निम्नांकित तालिका के स्तम्भ 03 में अंकित शर्त को स्तम्भ 04 के अनुसार संशोधित किया जाता है। अतः पूर्व में जारी निविदा प्रपत्र के बिन्दु 26 बिन्दु 33, बिन्दु 34 एवं बिन्दु 36 की शर्तों को उनके सम्मुख अंकित स्तम्भ 03 की शर्त को स्तम्भ 04 के अनुसार पढा जाए, निविदा प्रपत्र की अन्य शर्तें पूर्वत रहेंगी।

क्र0सं0	पूर्व में जारी निविदा प्रपत्र का बिन्दु	पूर्व में जारी निविदा प्रपत्र के अनुसार आवश्यक शर्त	संशोधन के उपरान्त आवश्यक शर्त
1	2	3	4
1.	26	निविदादाता / फर्म का उत्तराखण्ड राज्य में GST विभाग में पंजीकरण प्रमाण-पत्र की स्व-सत्यापित प्रति तथा आधार कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति संलग्न करें।	निविदादाता / फर्म का GST विभाग में पंजीकरण प्रमाण-पत्र की स्व-सत्यापित प्रति तथा आधार कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति संलग्न करें।
2.	33	निविदादाता/ फर्म का ऊधम सिंह नगर जनपद के श्रम विभाग में एक्ट 1970 लेबर लाईसेन्स के अन्तर्गत 01 वर्ष पूर्व का लाईसेन्स बना हो जो कि निविदा तिथि तक वैध हो स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।	निविदादाता/ फर्म का श्रम विभाग में एक्ट 1970 लेबर लाईसेन्स के अन्तर्गत 01 वर्ष पूर्व का लाईसेन्स बना हो जो कि निविदा तिथि तक वैध हो स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।
3.	34	निविदादाता/ फर्म के पास "फूड सेफ्टी एण्ड स्टैण्डर्ड अथॉरिटी ऑफ इण्डिया" का प्रमाण होना अनिवार्य है साथ ही निविदादाता/ फर्म का उत्तराखण्ड राज्य के ऊधम सिंह नगर जनपद में एफ.एस.एस.ए. आई.(FSSAI) विभाग में 01 वर्ष पूर्व का लाईसेन्स बना हो जो कि निविदा तिथि तक वैध हो, स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।	निविदादाता/ फर्म के पास "फूड सेफ्टी एण्ड स्टैण्डर्ड अथॉरिटी ऑफ इण्डिया" का प्रमाण होना अनिवार्य है एफ.एस.एस.ए.आई. (FSSAI) विभाग में 01 वर्ष पूर्व का लाईसेन्स बना हो जो कि निविदा तिथि तक वैध हो, स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।
4.	36	निविदादाता/ फर्म का कैंटरिंग कार्य का निविदा प्रकाशन की तिथि से पूर्व का उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी विभाग द्वारा ट्रेड लाईसेन्स होना अनिवार्य है, स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।	निविदादाता/ फर्म का कैंटरिंग कार्य का निविदा प्रकाशन की तिथि से पूर्व का सरकारी विभाग द्वारा ट्रेड लाईसेन्स होना अनिवार्य है, स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।

भवदीय

Signed by Aman Anirudha

जिला समाज कल्याण अधिकारी
Date: 04-11-2024 17:43:11
ऊधम सिंह नगर

// कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, उधम सिंह नगर //

पत्रांक सी-1371 /स0क0(आ0प0वि0)/भोजन व्यवस्था/ 2024-25

दिनांक 04.11.2024

प्रतिलिपि – निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
2. निदेशक, जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य विकास अधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
4. समस्त समिति सदस्य, (पद नाम से) ऊधमसिंह नगर।
5. नोडल अधिकारी, आई0टी0 सैल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. जिला सूचना एवं विज्ञान केन्द्र अधिकारी(NIC) ऊधमसिंह नगर।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
ऊधम सिंह नगर।

कार्यालय—जिला समाज कल्याण अधिकारी उधम सिंह नगर।

कार्यालय ज्ञाप

जनजाति कल्याण विभाग उत्तराखण्ड द्वारा जनपद ऊधमसिंह नगर में संचालित राजकीय आश्रम पद्धति उ0मा0 विद्यालय, गदरपुर, ऊधम सिंह नगर में अध्ययनरत/निवासरत विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2024-25 में (15.11.2024 से 14.11.2025 तक) कुल अवधि 01 वर्ष के लिए भोजन की आपूर्ति करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक सी-1357 दिनांक 30 अक्टूबर 2024 के द्वारा ई-निविदा जारी की गयी है।

उक्त पत्र द्वारा जारी ई0 निविदा प्रपत्र में निम्नांकित तालिका के स्तम्भ 03 में अंकित शर्त को स्तम्भ 04 के अनुसार संशोधित किया जाता है। अतः पूर्व में जारी निविदा प्रपत्र के बिन्दु 26 बिन्दु 33, बिन्दु 34 एवं बिन्दु 36 की शर्तों को उनके सम्मुख अंकित स्तम्भ 03 की शर्त को स्तम्भ 04 के अनुसार पढा जाए, निविदा प्रपत्र की अन्य शर्तें पूर्वत रहेंगी।

क्र0सं0	पूर्व में जारी निविदा प्रपत्र का बिन्दु	पूर्व में जारी निविदा प्रपत्र के अनुसार आवश्यक शर्त	संशोधन के उपरान्त आवश्यक शर्त
1	2	3	4
1.	26	निविदादाता / फर्म का उत्तराखण्ड राज्य में GST विभाग में पंजीकरण प्रमाण-पत्र की स्व-सत्यापित प्रति तथा आधार कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति संलग्न करें।	निविदादाता / फर्म का GST विभाग में पंजीकरण प्रमाण-पत्र की स्व-सत्यापित प्रति तथा आधार कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति संलग्न करें।
2.	33	निविदादाता/ फर्म का ऊधम सिंह नगर जनपद के श्रम विभाग में एक्ट 1970 लेबर लाईसेन्स के अन्तर्गत 01 वर्ष पूर्व का लाईसेन्स बना हो जो कि निविदा तिथि तक वैध हो स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।	निविदादाता/ फर्म का श्रम विभाग में एक्ट 1970 लेबर लाईसेन्स के अन्तर्गत 01 वर्ष पूर्व का लाईसेन्स बना हो जो कि निविदा तिथि तक वैध हो स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।
3.	34	निविदादाता/ फर्म के पास "फूड सेपटी एण्ड स्टैण्डर्ड अथॉरिटी ऑफ इण्डिया" का प्रमाण होना अनिवार्य है साथ ही निविदादाता/ फर्म का उत्तराखण्ड राज्य के ऊधम सिंह नगर जनपद में एफ.एस.एस.ए. आई.(FSSAI) विभाग में 01 वर्ष पूर्व का लाईसेन्स बना हो जो कि निविदा तिथि तक वैध हो, स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।	निविदादाता/ फर्म के पास "फूड सेपटी एण्ड स्टैण्डर्ड अथॉरिटी ऑफ इण्डिया" का प्रमाण होना अनिवार्य है एफ.एस.एस.ए.आई. (FSSAI) विभाग में 01 वर्ष पूर्व का लाईसेन्स बना हो जो कि निविदा तिथि तक वैध हो, स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।
4.	36	निविदादाता/ फर्म का कैंटरिंग कार्य का निविदा प्रकाशन की तिथि से पूर्व का उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी विभाग द्वारा ट्रेड लाईसेन्स होना अनिवार्य है, स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।	निविदादाता/ फर्म का कैंटरिंग कार्य का निविदा प्रकाशन की तिथि से पूर्व का सरकारी विभाग द्वारा ट्रेड लाईसेन्स होना अनिवार्य है, स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।

भवदीय

Signed by Aman Anirudha
जिला समाज कल्याण अधिकारी
Date: 04-11-2024 17:44:39
ऊधम सिंह नगर

// कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, उधम सिंह नगर //

पत्रांक सी-1368 /स0क0(आ0प0वि0)/भोजन व्यवस्था/ 2024-25

दिनांक 04.11.2024

प्रतिलिपि – निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
2. निदेशक, जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य विकास अधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
4. समस्त समिति सदस्य, (पद नाम से) ऊधमसिंह नगर।
5. नोडल अधिकारी, आई0टी0 सैल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. जिला सूचना एवं विज्ञान केन्द्र अधिकारी(NIC) ऊधमसिंह नगर।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
ऊधम सिंह नगर।

कार्यालय ज्ञाप

जनजाति कल्याण विभाग उत्तराखण्ड द्वारा जनपद ऊधमसिंह नगर में संचालित राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय खटीमा, ऊधम सिंह नगर में अध्ययनरत/निवासरत विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2024-25 में (15.11.2024 से 14.11.2025 तक) कुल अवधि 01 वर्ष के लिए भोजन की आपूर्ति करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक सी-1353 दिनांक 30 अक्टूबर 2024 के द्वारा ई-निविदा जारी की गयी है।

उक्त पत्र द्वारा जारी ई0 निविदा प्रपत्र में निम्नांकित तालिका के स्तम्भ 03 में अंकित शर्त को स्तम्भ 04 के अनुसार संशोधित किया जाता है। अतः पूर्व में जारी निविदा प्रपत्र के बिन्दु 26 बिन्दु 33, बिन्दु 34 एवं बिन्दु 36 की शर्तों को उनके सम्मुख अंकित स्तम्भ 03 की शर्त को स्तम्भ 04 के अनुसार पढा जाए, निविदा प्रपत्र की अन्य शर्तें पूर्वत रहेंगी।

क्र0सं0	पूर्व में जारी निविदा प्रपत्र का बिन्दु	पूर्व में जारी निविदा प्रपत्र के अनुसार आवश्यक शर्त	संशोधन के उपरान्त आवश्यक शर्त
1	2	3	4
1.	26	निविदादाता / फर्म का उत्तराखण्ड राज्य में GST विभाग में पंजीकरण प्रमाण-पत्र की स्व-सत्यापित प्रति तथा आधार कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति संलग्न करें।	निविदादाता / फर्म का GST विभाग में पंजीकरण प्रमाण-पत्र की स्व-सत्यापित प्रति तथा आधार कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति संलग्न करें।
2.	33	निविदादाता/ फर्म का ऊधम सिंह नगर जनपद के श्रम विभाग में एक्ट 1970 लेबर लाईसेन्स के अर्न्तगत 01 वर्ष पूर्व का लाईसेन्स बना हो जो कि निविदा तिथि तक वैध हो स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।	निविदादाता/ फर्म का श्रम विभाग में एक्ट 1970 लेबर लाईसेन्स के अर्न्तगत 01 वर्ष पूर्व का लाईसेन्स बना हो जो कि निविदा तिथि तक वैध हो स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।
3.	34	निविदादाता/ फर्म के पास "फूड सेपटी एण्ड स्टैण्डर्ड अथॉरिटी ऑफ इण्डिया" का प्रमाण होना अनिवार्य है साथ ही निविदादाता/ फर्म का उत्तराखण्ड राज्य के ऊधम सिंह नगर जनपद में एफ.एस.एस.ए. आई.(FSSAI) विभाग में 01 वर्ष पूर्व का लाईसेन्स बना हो जो कि निविदा तिथि तक वैध हो, स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।	निविदादाता/ फर्म के पास "फूड सेपटी एण्ड स्टैण्डर्ड अथॉरिटी ऑफ इण्डिया" का प्रमाण होना अनिवार्य है एफ.एस.एस.ए.आई. (FSSAI) विभाग में 01 वर्ष पूर्व का लाईसेन्स बना हो जो कि निविदा तिथि तक वैध हो, स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।
4.	36	निविदादाता/ फर्म का कैंटरिंग कार्य का निविदा प्रकाशन की तिथि से पूर्व का उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी विभाग द्वारा ट्रेड लाईसेन्स होना अनिवार्य है, स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।	निविदादाता/ फर्म का कैंटरिंग कार्य का निविदा प्रकाशन की तिथि से पूर्व का सरकारी विभाग द्वारा ट्रेड लाईसेन्स होना अनिवार्य है, स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।

भवदीय

Signed by Aman Anirudha

जिला समाज कल्याण अधिकारी
Date: 04-11-2024 17:42:05
ऊधम सिंह नगर

// कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, उधम सिंह नगर //

पत्रांक सी-1373 / स0क0(आ0प0वि0)/ भोजन व्यवस्था / 2024-25

दिनांक 04.11.2024

प्रतिलिपि - निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
2. निदेशक, जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य विकास अधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
4. समस्त समिति सदस्य, (पद नाम से) ऊधमसिंह नगर।
5. नोडल अधिकारी, आई0टी0 सैल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. जिला सूचना एवं विज्ञान केन्द्र अधिकारी(NIC) ऊधमसिंह नगर।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
ऊधम सिंह नगर।

कार्यालय ज्ञाप

जनजाति कल्याण विभाग उत्तराखण्ड द्वारा जनपद ऊधमसिंह नगर में संचालित राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय, गूलरभोज, ऊधम सिंह नगर में अध्ययनरत/निवासरत् विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2024-25 में (15.11.2024 से 14.11.2025 तक) कुल अवधि 01 वर्ष के लिए भोजन की आपूर्ति करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक सी-1359 दिनांक 30 अक्टूबर 2024 के द्वारा ई-निविदा जारी की गयी है।

उक्त पत्र द्वारा जारी ई0 निविदा प्रपत्र में निम्नांकित तालिका के स्तम्भ 03 में अंकित शर्त को स्तम्भ 04 के अनुसार संशोधित किया जाता है। अतः पूर्व में जारी निविदा प्रपत्र के बिन्दु 26, बिन्दु 33, बिन्दु 34 एवं बिन्दु 36 की शर्तों को उनके सम्मुख अंकित स्तम्भ 03 की शर्त को स्तम्भ 04 के अनुसार पढा जाए, निविदा प्रपत्र की अन्य शर्तें पूर्वत रहेंगी।

क्र0सं0	पूर्व में जारी निविदा प्रपत्र का बिन्दु	पूर्व में जारी निविदा प्रपत्र के अनुसार आवश्यक शर्त	संशोधन के उपरान्त आवश्यक शर्त
1	2	3	4
1.	26	निविदादाता / फर्म का उत्तराखण्ड राज्य में GST विभाग में पंजीकरण प्रमाण-पत्र की स्व-सत्यापित प्रति तथा आधार कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति संलग्न करें।	निविदादाता / फर्म का GST विभाग में पंजीकरण प्रमाण-पत्र की स्व-सत्यापित प्रति तथा आधार कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति संलग्न करें।
2.	33	निविदादाता/ फर्म का ऊधम सिंह नगर जनपद के श्रम विभाग में एक्ट 1970 लेबर लाईसेन्स के अर्न्तगत 01 वर्ष पूर्व का लाईसेन्स बना हो जो कि निविदा तिथि तक वैध हो स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।	निविदादाता/ फर्म का श्रम विभाग में एक्ट 1970 लेबर लाईसेन्स के अर्न्तगत 01 वर्ष पूर्व का लाईसेन्स बना हो जो कि निविदा तिथि तक वैध हो स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।
3.	34	निविदादाता/ फर्म के पास "फूड सेफ्टी एण्ड स्टैण्डर्ड अथॉरिटी ऑफ इण्डिया" का प्रमाण होना अनिवार्य है साथ ही निविदादाता/ फर्म का उत्तराखण्ड राज्य के ऊधम सिंह नगर जनपद में एफ.एस.एस.ए. आई.(FSSAI) विभाग में 01 वर्ष पूर्व का लाईसेन्स बना हो जो कि निविदा तिथि तक वैध हो, स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।	निविदादाता/ फर्म के पास "फूड सेफ्टी एण्ड स्टैण्डर्ड अथॉरिटी ऑफ इण्डिया" का प्रमाण होना अनिवार्य है एफ.एस.एस.ए.आई. (FSSAI) विभाग में 01 वर्ष पूर्व का लाईसेन्स बना हो जो कि निविदा तिथि तक वैध हो, स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।
4.	36	निविदादाता/ फर्म का कैंटरिंग कार्य का निविदा प्रकाशन की तिथि से पूर्व का उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी विभाग द्वारा ट्रेड लाईसेन्स होना अनिवार्य है, स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।	निविदादाता/ फर्म का कैंटरिंग कार्य का निविदा प्रकाशन की तिथि से पूर्व का सरकारी विभाग द्वारा ट्रेड लाईसेन्स होना अनिवार्य है, स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।

भवदीय

Signed by Aman Anirudha
जिला समाज कल्याण अधिकारी
Date: 04-11-2024 17:45:35
ऊधम सिंह नगर

// कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, उधम सिंह नगर //

पत्रांक सी-1366 /स0क0(आ0प0वि0)/भोजन व्यवस्था/ 2024-25

दिनांक 04.11.2024

प्रतिलिपि - निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
2. निदेशक, जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य विकास अधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
4. समस्त समिति सदस्य, (पद नाम से) ऊधमसिंह नगर।
5. नोडल अधिकारी, आई0टी0 सैल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. जिला सूचना एवं विज्ञान केन्द्र अधिकारी(NIC) ऊधमसिंह नगर।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
ऊधम सिंह नगर।

कार्यालय ज्ञाप

जनजाति कल्याण विभाग उत्तराखण्ड द्वारा जनपद ऊधमसिंह नगर में संचालित राजकीय आश्रम पद्धति उ0मा10 विद्यालय खटीमा, ऊधम सिंह नगर में अध्ययनरत/निवासरत् विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2024-25 में (15.11.2024 से 14.11.2025 तक) कुल अवधि 01 वर्ष के लिए भोजन की आपूर्ति करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक सी-1352 दिनांक 30 अक्टूबर 2024 के द्वारा ई-निविदा जारी की गयी है।

उक्त पत्र द्वारा जारी ई0 निविदा प्रपत्र में निम्नांकित तालिका के स्तम्भ 03 में अंकित शर्त को स्तम्भ 04 के अनुसार संशोधित किया जाता है। अतः पूर्व में जारी निविदा प्रपत्र के बिन्दु 26 बिन्दु 33, बिन्दु 34 एवं बिन्दु 36 की शर्तों को उनके सम्मुख अंकित स्तम्भ 03 की शर्त को स्तम्भ 04 के अनुसार पढा जाए, निविदा प्रपत्र की अन्य शर्तें पूर्वत रहेंगी।

क्र0सं0	पूर्व में जारी निविदा प्रपत्र का बिन्दु	पूर्व में जारी निविदा प्रपत्र के अनुसार आवश्यक शर्त	संशोधन के उपरान्त आवश्यक शर्त
1	2	3	4
1.	26	निविदादाता / फर्म का उत्तराखण्ड राज्य में GST विभाग में पंजीकरण प्रमाण-पत्र की स्व-सत्यापित प्रति तथा आधार कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति संलग्न करें।	निविदादाता / फर्म का GST विभाग में पंजीकरण प्रमाण-पत्र की स्व-सत्यापित प्रति तथा आधार कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति संलग्न करें।
2.	33	निविदादाता/ फर्म का ऊधम सिंह नगर जनपद के श्रम विभाग में एक्ट 1970 लेबर लाईसेन्स के अर्न्तगत 01 वर्ष पूर्व का लाईसेन्स बना हो जो कि निविदा तिथि तक वैध हो स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।	निविदादाता/ फर्म का श्रम विभाग में एक्ट 1970 लेबर लाईसेन्स के अर्न्तगत 01 वर्ष पूर्व का लाईसेन्स बना हो जो कि निविदा तिथि तक वैध हो स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।
3.	34	निविदादाता/ फर्म के पास "फूड सेपटी एण्ड स्टैण्डर्ड अथॉरिटी ऑफ इण्डिया" का प्रमाण होना अनिवार्य है साथ ही निविदादाता/ फर्म का उत्तराखण्ड राज्य के ऊधम सिंह नगर जनपद में एफ.एस.एस.ए. आई.(FSSAI) विभाग में 01 वर्ष पूर्व का लाईसेन्स बना हो जो कि निविदा तिथि तक वैध हो, स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।	निविदादाता/ फर्म के पास "फूड सेपटी एण्ड स्टैण्डर्ड अथॉरिटी ऑफ इण्डिया" का प्रमाण होना अनिवार्य है एफ.एस.एस.ए.आई. (FSSAI) विभाग में 01 वर्ष पूर्व का लाईसेन्स बना हो जो कि निविदा तिथि तक वैध हो, स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।
4.	36	निविदादाता/ फर्म का कैंटरिंग कार्य का निविदा प्रकाशन की तिथि से पूर्व का उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी विभाग द्वारा ट्रेड लाईसेन्स होना अनिवार्य है, स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।	निविदादाता/ फर्म का कैंटरिंग कार्य का निविदा प्रकाशन की तिथि से पूर्व का सरकारी विभाग द्वारा ट्रेड लाईसेन्स होना अनिवार्य है, स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।

भवदीय

Signed by Aman Anirudha
जिला समाज कल्याण अधिकारी
Date: 04-11-2024 17:41:41
ऊधम सिंह नगर

// कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, उधम सिंह नगर //

पत्रांक सी-1374 / स0क0(आ0प0वि0)/ भोजन व्यवस्था / 2024-25

दिनांक 04.11.2024

प्रतिलिपि - निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
2. निदेशक, जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य विकास अधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
4. समस्त समिति सदस्य, (पद नाम से) ऊधमसिंह नगर।
5. नोडल अधिकारी, आई0टी0 सैल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. जिला सूचना एवं विज्ञान केन्द्र अधिकारी (NIC) ऊधमसिंह नगर।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
ऊधम सिंह नगर।

कार्यालय—जिला समाज कल्याण अधिकारी उधम सिंह नगर।

कार्यालय ज्ञाप

जनजाति कल्याण विभाग उत्तराखण्ड द्वारा जनपद ऊधमसिंह नगर में संचालित एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, बाजपुर ऊधम सिंह नगर में अध्ययनरत/निवासरत विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2024-25 में (08.12.2024 से 07.12.2025 तक) कुल अवधि 01 वर्ष के लिए भोजन की आपूर्ति करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक सी- 1358 दिनांक 30 अक्टूबर 2024 के द्वारा ई-निविदा जारी की गयी है।

उक्त पत्र द्वारा जारी ई0 निविदा प्रपत्र में निम्नांकित तालिका के स्तम्भ 03 में अंकित शर्त को स्तम्भ 04 के अनुसार संशोधित किया जाता है। अतः पूर्व में जारी निविदा प्रपत्र के बिन्दु 26 बिन्दु 33, बिन्दु 34 एवं बिन्दु 36 की शर्तों को उनके सम्मुख अंकित स्तम्भ 03 की शर्त को स्तम्भ 04 के अनुसार पढा जाए, निविदा प्रपत्र की अन्य शर्तें पूर्वत रहेंगी।

क्र0सं0	पूर्व में जारी निविदा प्रपत्र का बिन्दु	पूर्व में जारी निविदा प्रपत्र के अनुसार आवश्यक शर्त	संशोधन के उपरान्त आवश्यक शर्त
1	2	3	4
1.	26	निविदादाता / फर्म का उत्तराखण्ड राज्य में GST विभाग में पंजीकरण प्रमाण-पत्र की स्व-सत्यापित प्रति तथा आधार कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति संलग्न करें।	निविदादाता / फर्म का GST विभाग में पंजीकरण प्रमाण-पत्र की स्व-सत्यापित प्रति तथा आधार कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति संलग्न करें।
2.	33	निविदादाता/ फर्म का ऊधम सिंह नगर जनपद के श्रम विभाग में एक्ट 1970 लेबर लाईसेन्स के अर्न्तगत 01 वर्ष पूर्व का लाईसेन्स बना हो जो कि निविदा तिथि तक वैध हो स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।	निविदादाता/ फर्म का श्रम विभाग में एक्ट 1970 लेबर लाईसेन्स के अर्न्तगत 01 वर्ष पूर्व का लाईसेन्स बना हो जो कि निविदा तिथि तक वैध हो स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।
3.	34	निविदादाता/ फर्म के पास "फूड सेपटी एण्ड स्टैण्डर्ड अथॉरिटी ऑफ इण्डिया" का प्रमाण होना अनिवार्य है साथ ही निविदादाता/फर्म का उत्तराखण्ड राज्य के ऊधम सिंह नगर जनपद में एफ.एस.एस.ए. आई.(FSSAI) विभाग में 01 वर्ष पूर्व का लाईसेन्स बना हो जो कि निविदा तिथि तक वैध हो, स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।	निविदादाता/ फर्म के पास "फूड सेपटी एण्ड स्टैण्डर्ड अथॉरिटी ऑफ इण्डिया" का प्रमाण होना अनिवार्य है एफ.एस.एस.ए.आई. (FSSAI) विभाग में 01 वर्ष पूर्व का लाईसेन्स बना हो जो कि निविदा तिथि तक वैध हो, स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।
4.	36	निविदादाता/ फर्म का कैंटरिंग कार्य का निविदा प्रकाशन की तिथि से पूर्व का उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी विभाग द्वारा ट्रेड लाईसेन्स होना अनिवार्य है, स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।	निविदादाता/ फर्म का कैंटरिंग कार्य का निविदा प्रकाशन की तिथि से पूर्व का सरकारी विभाग द्वारा ट्रेड लाईसेन्स होना अनिवार्य है, स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।

भवदीय

Signed by Aman Anirudha

जिला समाज कल्याण अधिकारी
Date: 04-11-2024 17:45:04
ऊधम सिंह नगर

// कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, उधम सिंह नगर //

पत्रांक सी-1367

/स0क0(आ0प0वि0)/भोजन व्यवस्था/ 2024-25

दिनांक 04.11.2024

प्रतिलिपि - निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
2. निदेशक, जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य विकास अधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
4. समस्त समिति सदस्य, (पद नाम से) ऊधमसिंह नगर।
5. नोडल अधिकारी, आई0टी0 सैल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. जिला सूचना एवं विज्ञान केन्द्र अधिकारी(NIC) ऊधमसिंह नगर।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
ऊधम सिंह नगर।

कार्यालय ज्ञाप

जनजाति कल्याण विभाग उत्तराखण्ड द्वारा जनपद ऊधमसिंह नगर में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय खटीमा, ऊधम सिंह नगर में अध्ययनरत/निवासरत विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2024-25 में (16.11.2024 से 15.11.2025 तक) कुल अवधि 01 वर्ष के लिए भोजन की आपूर्ति करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक सी-1363 दिनांक 30 अक्टूबर 2024 के द्वारा ई-निविदा जारी की गयी है।

उक्त पत्र द्वारा जारी ई0 निविदा प्रपत्र में निम्नांकित तालिका के स्तम्भ 03 में अंकित शर्त को स्तम्भ 04 के अनुसार संशोधित किया जाता है। अतः पूर्व में जारी निविदा प्रपत्र के बिन्दु 26 बिन्दु 33, बिन्दु 34 एवं बिन्दु 36 की शर्तों को उनके सम्मुख अंकित स्तम्भ 03 की शर्त को स्तम्भ 04 के अनुसार पढा जाए, निविदा प्रपत्र की अन्य शर्तें पूर्वत रहेंगी।

क्र0सं0	पूर्व में जारी निविदा प्रपत्र का बिन्दु	पूर्व में जारी निविदा प्रपत्र के अनुसार आवश्यक शर्त	संशोधन के उपरान्त आवश्यक शर्त
1	2	3	4
1.	26	निविदादाता / फर्म का उत्तराखण्ड राज्य में GST विभाग में पंजीकरण प्रमाण-पत्र की स्व-सत्यापित प्रति तथा आधार कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति संलग्न करें।	निविदादाता / फर्म का GST विभाग में पंजीकरण प्रमाण-पत्र की स्व-सत्यापित प्रति तथा आधार कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति संलग्न करें।
2.	33	निविदादाता/ फर्म का ऊधम सिंह नगर जनपद के श्रम विभाग में एक्ट 1970 लेबर लाईसेन्स के अर्न्तगत 01 वर्ष पूर्व का लाईसेन्स बना हो जो कि निविदा तिथि तक वैध हो स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।	निविदादाता/ फर्म का श्रम विभाग में एक्ट 1970 लेबर लाईसेन्स के अर्न्तगत 01 वर्ष पूर्व का लाईसेन्स बना हो जो कि निविदा तिथि तक वैध हो स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।
3.	34	निविदादाता/ फर्म के पास "फूड सेपटी एण्ड स्टैण्डर्ड अथॉरिटी ऑफ इण्डिया" का प्रमाण होना अनिवार्य है साथ ही निविदादाता/फर्म का उत्तराखण्ड राज्य के ऊधम सिंह नगर जनपद में एफ.एस.एस.ए. आई.(FSSAI) विभाग में 01 वर्ष पूर्व का लाईसेन्स बना हो जो कि निविदा तिथि तक वैध हो, स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।	निविदादाता/ फर्म के पास "फूड सेपटी एण्ड स्टैण्डर्ड अथॉरिटी ऑफ इण्डिया" का प्रमाण होना अनिवार्य है एफ.एस.एस.ए.आई. (FSSAI) विभाग में 01 वर्ष पूर्व का लाईसेन्स बना हो जो कि निविदा तिथि तक वैध हो, स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।
4.	36	निविदादाता/ फर्म का कैंटरिंग कार्य का निविदा प्रकाशन की तिथि से पूर्व का उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी विभाग द्वारा ट्रेड लाईसेन्स होना अनिवार्य है, स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।	निविदादाता/ फर्म का कैंटरिंग कार्य का निविदा प्रकाशन की तिथि से पूर्व का सरकारी विभाग द्वारा ट्रेड लाईसेन्स होना अनिवार्य है, स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।

भवदीय

Signed by Aman Anirudha

Date: 04.11.2024 17:42:41
ऊधम सिंह नगर

// कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, उधम सिंह नगर //

पत्रांक सी-1372

/स0क0(आ0प0वि0)/भोजन व्यवस्था/ 2024-25

दिनांक 04.11.2024

प्रतिलिपि - निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
2. निदेशक, जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य विकास अधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
4. समस्त समिति सदस्य, (पद नाम से) ऊधमसिंह नगर।
5. नोडल अधिकारी, आई0टी0 सैल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. जिला सूचना एवं विज्ञान केन्द्र अधिकारी(NIC) ऊधमसिंह नगर।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
ऊधम सिंह नगर।

कार्यालय ज्ञाप

जनजाति कल्याण विभाग उत्तराखण्ड द्वारा जनपद ऊधमसिंह नगर में संचालित राजकीय जनजाति छात्रावास काशीपुर, ऊधम सिंह नगर में अध्ययनरत/निवासरत विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2024-25 में (15.11.2024 से 14.11.2025 तक) कुल अवधि 01 वर्ष के लिए भोजन की आपूर्ति करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक सी-1356 दिनांक 30 अक्टूबर 2024 के द्वारा ई-निविदा जारी की गयी है।

उक्त पत्र द्वारा जारी ई0 निविदा प्रपत्र में निम्नांकित तालिका के स्तम्भ 03 में अंकित शर्त को स्तम्भ 04 के अनुसार संशोधित किया जाता है। अतः पूर्व में जारी निविदा प्रपत्र के बिन्दु 22,बिन्दु 26 बिन्दु 33,बिन्दु 34 एवं बिन्दु 36 की शर्तों को उनके सम्मुख अंकित स्तम्भ 03 की शर्त को स्तम्भ 04 के अनुसार पढा जाए, निविदा प्रपत्र की अन्य शर्तें पूर्वत रहेंगी।

क्र0सं0	पूर्व में जारी निविदा प्रपत्र का बिन्दु	पूर्व में जारी निविदा प्रपत्र के अनुसार आवश्यक शर्त	संशोधन के उपरान्त आवश्यक शर्त
1	2	3	4
1.	22	धरोहर राशि (EMD) निविदा मूल्य के 2 प्रतिशत के अनुसार कुल धनराशि रू0 67500 (सडसठ हजार पाँच सौ मात्र)	धरोहर राशि (EMD) निविदा मूल्य के 3 प्रतिशत के अनुसार कुल धनराशि रू0 67500 (सडसठ हजार पाँच सौ मात्र)
2.	26	निविदादाता / फर्म का उत्तराखण्ड राज्य में GST विभाग में पंजीकरण प्रमाण-पत्र की स्व-सत्यापित प्रति तथा आधार कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति संलग्न करें।	निविदादाता / फर्म का GST विभाग में पंजीकरण प्रमाण-पत्र की स्व-सत्यापित प्रति तथा आधार कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति संलग्न करें।
3.	33	निविदादाता/ फर्म का ऊधम सिंह नगर जनपद के श्रम विभाग में एक्ट 1970 लेबर लाईसेन्स के अर्न्तगत 01 वर्ष पूर्व का लाईसेन्स बना हो जो कि निविदा तिथि तक वैध हो स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।	निविदादाता/ फर्म का श्रम विभाग में एक्ट 1970 लेबर लाईसेन्स के अर्न्तगत 01 वर्ष पूर्व का लाईसेन्स बना हो जो कि निविदा तिथि तक वैध हो स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।
4.	34	निविदादाता/ फर्म के पास "फूड सेफ्टी एण्ड स्टैण्डर्ड अथॉरिटी ऑफ इण्डिया" का प्रमाण होना अनिवार्य है साथ ही निविदादाता/फर्म का उत्तराखण्ड राज्य के ऊधम सिंह नगर जनपद में एफ.एस.एस.ए.आई.(FSSAI) विभाग में 01 वर्ष पूर्व का लाईसेन्स बना हो जो कि निविदा तिथि तक वैध हो, स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।	निविदादाता/ फर्म के पास "फूड सेफ्टी एण्ड स्टैण्डर्ड अथॉरिटी ऑफ इण्डिया" का प्रमाण होना अनिवार्य है एफ.एस.एस.ए.आई.(FSSAI) विभाग में 01 वर्ष पूर्व का लाईसेन्स बना हो जो कि निविदा तिथि तक वैध हो, स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।
5.	36	निविदादाता/ फर्म का कैंटरिंग कार्य का निविदा प्रकाशन की तिथि से पूर्व का उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी विभाग द्वारा ट्रेड लाईसेन्स होना अनिवार्य है, स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।	निविदादाता/ फर्म का कैंटरिंग कार्य का निविदा प्रकाशन की तिथि से पूर्व का सरकारी विभाग द्वारा ट्रेड लाईसेन्स होना अनिवार्य है, स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।

भवदीय

Signed by Aman Anirudha
जिला समाज कल्याण अधिकारी
Date: 04-11-2024 17:43:43
ऊधम सिंह नगर

// कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी ,उधम सिंह नगर //

पत्रांक सी-1370 /स0क0(आ0प0वि0)/भोजन व्यवस्था/ 2024-25

दिनांक 04.11.2024

प्रतिलिपि - निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
2. निदेशक, जनजाति कल्याण,उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य विकास अधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
4. समस्त समिति सदस्य, (पद नाम से) ऊधमसिंह नगर।
5. नोडल अधिकारी, आई0टी0 सैल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. जिला सूचना एवं विज्ञान केन्द्र अधिकारी(NIC) ऊधमसिंह नगर।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
ऊधम सिंह नगर।

कार्यालय ज्ञाप

जनजाति कल्याण विभाग उत्तराखण्ड द्वारा जनपद ऊधमसिंह नगर में संचालित राजकीय जनजाति छात्रावास खटीमा, ऊधम सिंह नगर में अध्ययनरत/निवासरत् विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2024-25 में (15.11.2024 से 14.11.2025 तक) कुल अवधि 01 वर्ष के लिए भोजन की आपूर्ति करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक सी-1360 दिनांक 30 अक्टूबर 2024 के द्वारा ई-निविदा जारी की गयी है।

उक्त पत्र द्वारा जारी ई0 निविदा प्रपत्र में निम्नांकित तालिका के स्तम्भ 03 में अंकित शर्त को स्तम्भ 04 के अनुसार संशोधित किया जाता है। अतः पूर्व में जारी निविदा प्रपत्र के बिन्दु 22, बिन्दु 26 बिन्दु 33, बिन्दु 34 एवं बिन्दु 36 की शर्तों को उनके सम्मुख अंकित स्तम्भ 03 की शर्त को स्तम्भ 04 के अनुसार पढा जाए, निविदा प्रपत्र की अन्य शर्तें पूर्वत रहेंगी।

क्र0सं0	पूर्व में जारी निविदा प्रपत्र का बिन्दु	पूर्व में जारी निविदा प्रपत्र के अनुसार आवश्यक शर्त	संशोधन के उपरान्त आवश्यक शर्त
1	2	3	4
1.	22	धरोहर राशि (EMD) निविदा मूल्य के 2 प्रतिशत के अनुसार कुल धनराशि रू0 67500 (सडसठ हजार पाँच सौ मात्र)	धरोहर राशि (EMD) निविदा मूल्य के 3 प्रतिशत के अनुसार कुल धनराशि रू0 67500 (सडसठ हजार पाँच सौ मात्र)
2.	26	निविदादाता / फर्म का उत्तराखण्ड राज्य में GST विभाग में पंजीकरण प्रमाण-पत्र की स्व-सत्यापित प्रति तथा आधार कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति संलग्न करें।	निविदादाता / फर्म का GST विभाग में पंजीकरण प्रमाण-पत्र की स्व-सत्यापित प्रति तथा आधार कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति संलग्न करें।
3.	33	निविदादाता/ फर्म का ऊधम सिंह नगर जनपद के श्रम विभाग में एक्ट 1970 लेबर लाईसेन्स के अर्न्तगत 01 वर्ष पूर्व का लाईसेन्स बना हो जो कि निविदा तिथि तक वैध हो स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।	निविदादाता/ फर्म का श्रम विभाग में एक्ट 1970 लेबर लाईसेन्स के अर्न्तगत 01 वर्ष पूर्व का लाईसेन्स बना हो जो कि निविदा तिथि तक वैध हो स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।
4.	34	निविदादाता/ फर्म के पास "फूड सेफ्टी एण्ड स्टैण्डर्ड अथॉरिटी ऑफ इण्डिया" का प्रमाण होना अनिवार्य है साथ ही निविदादाता/फर्म का उत्तराखण्ड राज्य के ऊधम सिंह नगर जनपद में एफ.एस.एस.ए.आई.(FSSAI) विभाग में 01 वर्ष पूर्व का लाईसेन्स बना हो जो कि निविदा तिथि तक वैध हो, स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।	निविदादाता/ फर्म के पास "फूड सेफ्टी एण्ड स्टैण्डर्ड अथॉरिटी ऑफ इण्डिया" का प्रमाण होना अनिवार्य है एफ.एस.एस.ए.आई.(FSSAI) विभाग में 01 वर्ष पूर्व का लाईसेन्स बना हो जो कि निविदा तिथि तक वैध हो, स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।
5.	36	निविदादाता/ फर्म का कैटरिंग कार्य का निविदा प्रकाशन की तिथि से पूर्व का उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी विभाग द्वारा ट्रेड लाईसेन्स होना अनिवार्य है, स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।	निविदादाता/ फर्म का कैटरिंग कार्य का निविदा प्रकाशन की तिथि से पूर्व का सरकारी विभाग द्वारा ट्रेड लाईसेन्स होना अनिवार्य है, स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।

भवदीय

Signed by Aman Anirudha

Date: 04.11.2024 17:40:40
जिला समाज कल्याण अधिकारी
ऊधम सिंह नगर

// कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी ,उधम सिंह नगर //

पत्रांक सी-1376 /स0क0(आ0प0वि0)/भोजन व्यवस्था/ 2024-25
प्रतिलिपि - निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

दिनांक 04.11.2024

1. जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
2. निदेशक, जनजाति कल्याण,उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य विकास अधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
4. समस्त समिति सदस्य, (पद नाम से) ऊधमसिंह नगर।
5. नोडल अधिकारी, आई0टी0 सैल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. जिला सूचना एवं विज्ञान केन्द्र अधिकारी(NIC) ऊधमसिंह नगर।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
ऊधम सिंह नगर।

कार्यालय ज्ञाप

जनजाति कल्याण विभाग उत्तराखण्ड द्वारा जनपद ऊधमसिंह नगर में संचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गूलरभोज, ऊधम सिंह नगर में अध्ययनरत/निवासरत विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2024-25 में (15.11.2024 से 14.11.2025 तक) कुल अवधि 01 वर्ष के लिए भोजन की आपूर्ति करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक सी-1354 दिनांक 30 अक्टूबर 2024 के द्वारा ई-निविदा जारी की गयी है।

उक्त पत्र द्वारा जारी ई0 निविदा प्रपत्र में निम्नांकित तालिका के स्तम्भ 03 में अंकित शर्त को स्तम्भ 04 के अनुसार संशोधित किया जाता है। अतः पूर्व में जारी निविदा प्रपत्र के बिन्दु 27, बिन्दु 34, बिन्दु 35 एवं बिन्दु 37 की शर्तों को उनके सम्मुख अंकित स्तम्भ 03 की शर्त को स्तम्भ 04 के अनुसार पढा जाए, निविदा प्रपत्र की अन्य शर्तें पूर्वत रहेंगी।

क्र0सं0	पूर्व में जारी निविदा प्रपत्र का बिन्दु	पूर्व में जारी निविदा प्रपत्र के अनुसार आवश्यक शर्त	संशोधन के उपरान्त आवश्यक शर्त
1	2	3	4
1.	27	निविदादाता / फर्म का उत्तराखण्ड राज्य में GST विभाग में पंजीकरण प्रमाण-पत्र की स्व-सत्यापित प्रति तथा आधार कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति संलग्न करें।	निविदादाता / फर्म का GST विभाग में पंजीकरण प्रमाण-पत्र की स्व-सत्यापित प्रति तथा आधार कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति संलग्न करें।
2.	34	निविदादाता/ फर्म का ऊधम सिंह नगर जनपद के श्रम विभाग में एक्ट 1970 लेबर लाईसेन्स के अर्न्तगत 01 वर्ष पूर्व का लाईसेन्स बना हो जो कि निविदा तिथि तक वैध हो स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।	निविदादाता/ फर्म का श्रम विभाग में एक्ट 1970 लेबर लाईसेन्स के अर्न्तगत 01 वर्ष पूर्व का लाईसेन्स बना हो जो कि निविदा तिथि तक वैध हो स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।
3.	35	निविदादाता/ फर्म के पास "फूड सेफ्टी एण्ड स्टैण्डर्ड अथॉरिटी ऑफ इण्डिया" का प्रमाण होना अनिवार्य है साथ ही निविदादाता/ फर्म का उत्तराखण्ड राज्य के ऊधम सिंह नगर जनपद में एफ.एस.एस.ए. आई.(FSSAI) विभाग में 01 वर्ष पूर्व का लाईसेन्स बना हो जो कि निविदा तिथि तक वैध हो, स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।	निविदादाता/ फर्म के पास "फूड सेफ्टी एण्ड स्टैण्डर्ड अथॉरिटी ऑफ इण्डिया" का प्रमाण होना अनिवार्य है एफ.एस.एस.ए.आई. (FSSAI) विभाग में 01 वर्ष पूर्व का लाईसेन्स बना हो जो कि निविदा तिथि तक वैध हो, स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।
4.	37	निविदादाता/ फर्म का कैंटरिंग कार्य का निविदा प्रकाशन की तिथि से पूर्व का उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी विभाग द्वारा ट्रेड लाईसेन्स होना अनिवार्य है, स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।	निविदादाता/ फर्म का कैंटरिंग कार्य का निविदा प्रकाशन की तिथि से पूर्व का सरकारी विभाग द्वारा ट्रेड लाईसेन्स होना अनिवार्य है, स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।

भवदीय

Signed by Aman Anirudha

जिला समाज कल्याण अधिकारी
Date: 04-11-2024 17:44:11
ऊधम सिंह नगर

// कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, उधम सिंह नगर //

पत्रांक सी-1369 /स0क0(आ0प0वि0)/भोजन व्यवस्था/ 2024-25

दिनांक 04.11.2024

प्रतिलिपि - निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
2. निदेशक, जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य विकास अधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
4. समस्त समिति सदस्य, (पद नाम से) ऊधमसिंह नगर।
5. नोडल अधिकारी, आई0टी0 सैल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. जिला सूचना एवं विज्ञान केन्द्र अधिकारी(NIC) ऊधमसिंह नगर।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
ऊधम सिंह नगर।

कार्यालय—जिला समाज कल्याण अधिकारी उधम सिंह नगर।

कार्यालय ज्ञाप

जनजाति कल्याण विभाग उत्तराखण्ड द्वारा जनपद ऊधमसिंह नगर में संचालित महाराणा प्रताप राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खटीमा, ऊधम सिंह नगर में अध्ययनरत/निवासरत विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2024-25 में (15.11.2024 से 14.11.2025 तक) कुल अवधि 01 वर्ष के लिए भोजन की आपूर्ति करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक सी-1355 दिनांक 30 अक्टूबर 2024 के द्वारा ई-निविदा जारी की गयी है।

उक्त पत्र द्वारा जारी ई0 निविदा प्रपत्र में निम्नांकित तालिका के स्तम्भ 03 में अंकित शर्त को स्तम्भ 04 के अनुसार संशोधित किया जाता है। अतः पूर्व में जारी निविदा प्रपत्र के बिन्दु 27 बिन्दु 34, बिन्दु 35 एवं बिन्दु 37 की शर्तों को उनके सम्मुख अंकित स्तम्भ 03 की शर्त को स्तम्भ 04 के अनुसार पढा जाए, निविदा प्रपत्र की अन्य शर्तें पूर्वत रहेंगी।

क्र0सं0	पूर्व में जारी निविदा प्रपत्र का बिन्दु	पूर्व में जारी निविदा प्रपत्र के अनुसार आवश्यक शर्त	संशोधन के उपरान्त आवश्यक शर्त
1	2	3	4
1.	27	निविदादाता / फर्म का उत्तराखण्ड राज्य में GST विभाग में पंजीकरण प्रमाण-पत्र की स्व-सत्यापित प्रति तथा आधार कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति संलग्न करें।	निविदादाता / फर्म का GST विभाग में पंजीकरण प्रमाण-पत्र की स्व-सत्यापित प्रति तथा आधार कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति संलग्न करें।
2.	34	निविदादाता/ फर्म का ऊधम सिंह नगर जनपद के श्रम विभाग में एक्ट 1970 लेबर लाईसेन्स के अन्तर्गत 01 वर्ष पूर्व का लाईसेन्स बना हो जो कि निविदा तिथि तक वैध हो स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।	निविदादाता/ फर्म का श्रम विभाग में एक्ट 1970 लेबर लाईसेन्स के अन्तर्गत 01 वर्ष पूर्व का लाईसेन्स बना हो जो कि निविदा तिथि तक वैध हो स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।
3.	35	निविदादाता/ फर्म के पास "फूड सेफ्टी एण्ड स्टैण्डर्ड अथॉरिटी ऑफ इण्डिया" का प्रमाण होना अनिवार्य है साथ ही निविदादाता/ फर्म का उत्तराखण्ड राज्य के ऊधम सिंह नगर जनपद में एफ.एस.एस.ए. आई.(FSSAI) विभाग में 01 वर्ष पूर्व का लाईसेन्स बना हो जो कि निविदा तिथि तक वैध हो, स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।	निविदादाता/ फर्म के पास "फूड सेफ्टी एण्ड स्टैण्डर्ड अथॉरिटी ऑफ इण्डिया" का प्रमाण होना अनिवार्य है एफ.एस.एस.ए.आई. (FSSAI) विभाग में 01 वर्ष पूर्व का लाईसेन्स बना हो जो कि निविदा तिथि तक वैध हो, स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।
4.	37	निविदादाता/ फर्म का कैंटरिंग कार्य का निविदा प्रकाशन की तिथि से पूर्व का उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी विभाग द्वारा ट्रेड लाईसेन्स होना अनिवार्य है, स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।	निविदादाता/ फर्म का कैंटरिंग कार्य का निविदा प्रकाशन की तिथि से पूर्व का सरकारी विभाग द्वारा ट्रेड लाईसेन्स होना अनिवार्य है, स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।

भवदीय

Signed by Aman Anirudha

Date: 04.11.2024 17:41:13
जिला समाज कल्याण अधिकारी
ऊधम सिंह नगर

// कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी ,उधम सिंह नगर //

पत्रांक सी-1375 /स0क0(आ0प0वि0)/भोजन व्यवस्था/ 2024-25

दिनांक 04.11.2024

प्रतिलिपि - निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
2. निदेशक, जनजाति कल्याण,उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य विकास अधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
4. समस्त समिति सदस्य, (पद नाम से) ऊधमसिंह नगर।
5. नोडल अधिकारी, आई0टी0 सैल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. जिला सूचना एवं विज्ञान केन्द्र अधिकारी(NIC) ऊधमसिंह नगर।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
ऊधम सिंह नगर।